न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू, आर0ए0एस0

अपील प्र0सं0 110/2022

1. विमला देवी पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी चक 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी मकान नं डी–2 मानसरोवर श्रीगंगानगर

अपीलांटा

बनाम

1. सतनाम सिंह पुत्र भगवंत सिंह अरोड़ा सिख निवासी 42 सी ब्लॉक श्रीगंगागनर
2. बलवीर सिंह पुत्र भगवंत सिंह अरोडा सिख निवासी 6 फर्स्ट फलोर, बैंक कॉलोनी श्रीगंगानगर हाल दुकान नं 11 न्यू सब्जी मण्डी श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगागनर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 12.01.2018 न्यायालय तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर

उपस्थित : 1. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा अधिवक्ता, अपीलांट
2. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस संख्या 2
3. श्री विक्रम बिश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 1 की ओर से
4. राजकीय अधिवक्ता, स्टेट की ओर से।

आदेश **दिनांक :18.07.2023**

प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के मुंतकिल प्रार्थना पत्र 2859/2022/जिला–श्रीगंगानगर आदेश दिनांक 15.11.2022 के फलस्वरूप इस न्यायालय में स्थानांतरित होकर प्राप्त हुई है।

अपीलांटा की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रेस्पोडेन्टस के खिलाफ पेश की गई है जिसके संक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटा के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा चक 7 जैड के मु.न. 48 मे जो रकबा कर्य किया उसके संबंध में एक लिखित दिनांक 12.06.2013 को अपीलांटा व रेस्पोडैट सं 1, 2 के बीच में जो की गई उसके अंत में मु0नं. 48 का नक्शा भी बनाया गया जसमें मु0नं0 48 के किलान नं 5, 6, 15, 25 के पश्चिमी हिस्सा में एक एक बिस्वा रकबा व मु0न0 25 के दक्षिणे भाग में भीएक बिस्वा रकबा सअपीलांटा का अलग निशान से दर्शाया गया जिसमें यह भी अंकित करवाया गया कि इस निाान का रकबा श्रीमती विमला देवी केरकबा को दर्शाता हे। मगर रेस्पोडैन्ट 1, व 2 के द्वारा बिना अपीलांटा की सहमति के ही चुपचाप मिलीभगत कर गलत शपथ पत्र दियनांक 12.12. 2017 बनवाकर व तहसीलदार के समक्ष पेश कर बंटवारा का आदेश जारी करवाया गया जिसमें अपील।आ का रकबा जो अलग निशान से दर्शाया हुआ था रेस्पोडैन्ट ने अपने नाम गलत तौर सेदर्ज करवा लिया। दिनांक 12.06.2013 की लिखित जिसमें अंतिम पेज पर नक्शा भी बनाया हुआ है। तथा रेस्पोडेन्ट सं 1 व 2 के हस्ताक्षर भी दर्ज है के तथ्यों को जानबुझकर छुपाकर आदेश जैर अपील पारित करवाया गया है जो कि निरस्तनीय है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने विभिन्न न्याय निर्णयों में यह सिद्धान्त पारित किए है कि बिना प्रभावित को बुलाये सुने पारित किया गया आदेश निरस्तनीय होगा। यदि अपीलांटा को बुलाया व सुना जाता तो वह अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

के समक्ष सही तथ्य पेश करती तथा किसी प्रकार से आदेश जेर अपील पारित नहीं किया जाता आदेश जैर अपील का अवलोकन किया जाये तो वह विधिवत विभाजन की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि रेस्पोडेन्ट सं 1 व 2 के नाम अलग अलग रकबा दर्ज करने के उपरांत भी कॉलम नं 3 में कुछ रकबा मुश्तरफा तौर पर दर्ज किया गया है। जो विभाजन के मकसद को ही समाप्त करता है। अतः मामला प्रतिपेक्षित कर अपीलांटा को सुनकर पुनः अपीलांटा की सहमति के आधार पर ही विभाजन करने का आदेश देना आवश्यक है। जिससे अपीलांटा का रकबा विभाजन में उसके नाम अलग दर्ज हो सके। अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने व मामला प्रतिप्रेषित कर अपीलांटा को सुनकर उसकी सहमति पर ही पुनः विभाजन करने का आदेश फरमाया जावे जिससे अपीलांटा को न्याय प्राप्त हो सके।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांटा के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि अपीलांटा के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा चक 7 जैड के मु.न. 48 मे जेा रकबा कय किया उसके संबंध में एक लिखित दिनांक 12.06.2013 को अपीलांटा व रेस्पोडैट सं 1, 2 के बीच में जो की गई उसके अंत में मु0नं. 48 का नक्शा भी बनाया गया जसमें मु0नं0 48 के किलान नं 5, 6, 15, 25 के पश्चिमी हिस्सा में एक एक बिस्वा रकबा व मु0न0 25 के दक्षिणी भाग में भीएक बिस्वा रकबा सअपीलांटा का अलग निशान से दर्शाया गया जिसमें यह भी अंकित करवाया गया कि इस निाान का रकबा श्रीमती विमला देवी केरकबा को दर्शाता हे। मगर रेस्पोडैन्ट 1, व 2 के द्वारा बिना अपीलांटा की सहमति के ही चुपचाप मिलीभगत कर गलत शपथ पत्र दियनांक 12.12.2017 बनवाकर व तहसीलदार के समक्ष पेश कर बंटवारा का आदेश जारी करवाया गया जिसमें अपील।आ का रकबा जो अलग निशान से दर्शाया हुआ था रेस्पोडैन्ट ने अपने नाम गलत तौर सेदर्ज करवा लिया। दिनांक 12.06.2013 की लिखित जिसमें अंतिम पेज पर नक्शा भी बनाया हुआ है। तथा रेस्पोडेन्ट सं 1 व 2 के हस्ताक्षर भी दर्ज है के तथ्यों को जानबुझकर छुपाकर आदेश जैर अपील पारित करवाया गया है जो कि निरस्तनीय है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने विभिन्न न्याय निर्णयों में यह सिद्धान्त पारित किए है कि बिना प्रभावित को बुलाये सुने पारित किया गया आदेश निरस्तनीय होगा। यदि अपीलांटा को बुलाया व सुना जाता तो वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सही तथ्य पेश करती तथा किसी प्रकार से आदेश जेर अपील पारित नहीं किया जाता आदेश जैर अपील का अवलोकन किया जाये तो वह विधिवत विभाजन की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि रेस्पोडेन्ट सं 1 व 2 के नाम अलग अलग रकबा दर्ज करने के उपरांत भी कॉलम नं 3 में कुछ रकबा मुश्तरफा तौर पर दर्ज किया गया है। जो विभाजन के मकसद को ही समाप्त करता है। अतः मामला प्रतिपेक्षित कर अपीलांटा को सुनकर पुनः अपीलांटा की सहमति के आधार पर ही विभाजन करने का आदेश देना आवश्यक है। जिससे अपीलांटा का रकबा विभाजन में उसके नाम अलग दर्ज हो सके। अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने व मामला प्रतिप्रेषित कर अपीलांटा को सुनकर उसकी सहमति पर ही पुनः विभाजन करने का आदेश फरमाया जावे जिससे अपीलांटा को न्याय प्राप्त हो सके।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने बहस में कथन किये है कि अपीलांटा ने अपील मे मु. नं. 48 में दिनांक 12.09.2006 को रकबा खरीद करना बयान किया है। अपीलांटा ने मु.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

नं. 48 में जो भूमि खरीद की वह भूमि मुस्तरका खाता में से थी और इस खाते के विभाजन का वाद अपीलांटा ने अन्य सहखातेदारों के साथ मिलकर रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत वाद संख्या 118/2013 में प्रस्तुत किया और उसमें विभाजन की डिक्री दिनांक 30.07.2013 को पारित की गयी और इस डिक्री से अपीलांट को चक 7 जैड के मु. नं. 48 के किला नंबर 4, 7, 13, 14, 17, 18, 23, 24 व किला नंबर 25 में 0.101 हैक्टेयर भूमि कुल 1.999 हैक्टेयर भूमि दे दी गयी थी, इस डिक्री की हस्तगत से रेस्पोडेण्ट को मु. नं. 48 के किला नंबर 5, 6, 15, 16 प्रत्येक सालम व किला नंबर 25 में 0.152 हैक्टेयर भूमि कुल 1.164 हैक्टेयर भूमि दे दी गयी। इस डिक्री व इकरार से अपीलांटा व रेस्पोडेण्ट की भूमि अलग-अलग दर्ज कर दी गयी और रेस्पोडेण्ट की भूमि से अपीलांटा को कोई संबंध नहीं रहा। अपीलांटा को जो भूमि डिक्री विभाजन से प्राप्त हुई, वह भूमि अपीलांटा ने व अपीलांटा के पुत्र ने अपनी भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.10.2021 से श्रीमती ज्योति को विक्रय कर दी है और अपीलांटा के पास मु. नं. 48 के किला नंबर 25 में 0.092 हैक्टेयर भूमि ही शेष बची है। रेस्पोडेण्ट ने विभाजन की डिक्री दिनांक 30.07.2013 से प्राप्त भूमि का आपस में पुनः विभाजन कर लिया गया है। इसका विभाजन आदेश तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 12.01.2018 को बाद जांच जारी कर दिया है, इस विभाजन आदेश से रेस्पोडेण्ट को अपनी भूमि जो संयुक्त थी,का विभाजन कर लिया है, इससे अपीलांटा किसी तरह से प्रभावित नहीं है। अपीलांटा ने यह अपील आदेश के 4 वर्ष बाद पेश की है उसमे इतने अर्से बाद अपील पेश करने का कोई उचित कारण नहीं बताया है। अतः अपीलांटा की अपील सारहीन होने से खारिज की जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया ।

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत सहमति से सहकाश्तकारों के मध्य खाता विभाजन किया गया है।

2. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के डिक्री आदेश दिनांक 30.07.2013 द्वारा प्रश्नगत भूमि का बंटवारा कर दिया गया था।

3. जमाबंदी संवत् 2068-71 ग्राम 7 जैड खाता संख्या 13/12 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतकरण संख्या 326 दिनांक 19.09.2013 रेस्पोडेण्टस व अपीलांटा की भूमि का बंटवारा होकर अलग-अलग रिकॉर्ड में दर्ज हो गया।

4. रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 2 द्वारा अपने हिस्से की भूमि के बंटवारा हेतु तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 2 बहिस्सा बराबर के सहकास्तकार थे। दोनों की सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने मुताबिक राजीनामा विभाजन आदेश दिनांक 12.01.2018 द्वारा खाता विभाजन किया।

5. अपीलांटा इस अपीलाधीन भूमि की सहकाश्तकार नहीं थी। खाता विभाजन में केवल सह-कास्तकारों को ही सुनवाई करने का प्रावधान है। अपीलांटा की भूमि पहले ही जरिये डिक्री पृथक की जा चुकी थी जो कि उसने जरिये बैयनामा दिनांक 12.09.2006 द्वारा आगे विक्रय कर दी।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 12.01.2018 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांईश नही होने से, अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती

अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.01.2018 की पुष्टि की जाती है।

आदेश आज दिनांक 18.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उम्मेद सिंह रतनू)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner